

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या- 181/2014 अपील अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2014/00197)

अनवान:

1. संदीप कौर पुत्री हुसनलाल पत्नि बलविन्द्र सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 12 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर।
2. रमनदीप कौर पुत्री हुसनलाल पत्नि बलविन्द्र सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 12 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान।
2. संतोष देवी बेवा हुसनलाल
3. हरगोविन्द पुत्र हुसनलाल जाति रामदासिया निवासी चक 1 बीडब्ल्यूएमए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. रमेशलाल पुत्र बक्शीराम जाति रामदासिया निवासी चक 1 बीडब्ल्यूएमए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

5.1.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक उपस्थित नहीं हुए। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम पीजा)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

